झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (एस) संख्या 1513/2024

सरोज भाई पटेल ...याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, डाकघर नॉर्थ ब्लॉक, थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली-110001 के माध्यम से

2. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय छठी मंजिल, पृथ्वी विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली- 110003

3. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, डाकघर नॉर्थ ब्लॉक, थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 में अपने सचिव के माध्यम से

4. झारखंड राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से पहली मंजिल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर, और थाना- धुर्वा, रांची- 834004

5. हिमाचल प्रदेश राज्य के हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171002 में मुख्य सचिव के माध्यम से

6. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार नेपाल हाउस, झारखंड- 834002

7. अपर मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), हिमाचल प्रदेश सरकार वन मुख्यालय, थालैंड, शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171002

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), झारखंड सरकार वन भवन, डोरंडा, रांची- 834002 ... प्रतिवादीगण

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

याचिकाकर्ता के लिए : श्रीमती अपराजिता भारद्वाज, अधिवक्ता

भारत संघ के लिए : श्री अनिल कुमार, अपर एस.जी.आई.

अभिजीत कुमार सिंह,सहायक अधिवक्ता अपर एस.जी.आई. के लिए

प्रतिवादीगण संख्या 4 और 9 के लिए: श्री विशाल कुमार राय, सहायक अधिवक्ता शासकीय अधिवक्ता- 4 के लिए

02/दिनांक: 21.03.2024

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, जिसके तहत और जिसके तहत, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना द्वारा पारित दिनांक 15.03.2024 के आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत अंतरिम राहत देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. दिनांक 15.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन के नीतिगत निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत कठिनाइयों को दर्शाते हुए रिट याचिकाकर्ता की ओर से बहुत तर्क दिए गए हैं।

3. जबकि दूसरी ओर, ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिवादी द्वारा उठाए गए स्टैंड को आक्षेपित आदेश में नोट किया गया है, विद्वान अतिरिक्त एसजीआई द्वारा अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए दोहराया गया है।

4. इस रिट याचिका में जो मुद्दा विचाराधीन है, वह इस आशय की अंतरिम राहत देने से इनकार करने के लिए है कि रिट याचिकाकर्ता को झारखंड राज्य में "प्रतिनियुक्तिकर्ता" के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि मूल कैडर राज्य और गृह

राज्य द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, अर्थात् क्रमश हिमाचल प्रदेश राज्य और झारखंड राज्य।

5. आपत्ति के रूप में लिया गया है, जिसे विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा नोट किया गया है कि जब तक प्रतिनियुक्ति की अवधि से परे जारी रखने का निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तब तक गृह राज्य में कोई और निरंतरता नहीं हो सकती है, को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा राहत प्रदान करने के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए एक आधार के रूप में लिया गया है।

6. यह न्यायालय, इस मुद्दे की जांच करने से पहले कि क्या इस स्तर पर अंतरिम संरक्षण दिया जाना आवश्यक है, अंतरिम निषेधाज्ञा/अंतरिम राहत देने के सिद्धांत के बारे में चर्चा करना उचित और उचित समझता है।

7. उसकी प्रकृति और सीमा के संबंध में अंतरिम राहत प्रदान करना प्रत्येक मामले के लिए तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि कोई सीधा जैकेट फार्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के तीन बुनियादी सिद्धांत हैं; सुविधा और अपूरणीय चोट का संतुलन जिसे एक व्यापक मामले के तथ्य और परिस्थितियों में उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। में

कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, एआईआर 1999 एससी 3105 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य विचारों को चित्रित किया है, जिन्हें निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन या याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायालय के साथ तौलना चाहिए: -

(i) नुकसान की सीमा एक पर्याप्त उपाय है;

(ii) अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए वादी के हित की रक्षा करें, हालांकि, उस चोट के संबंध में जो प्रतिवादियों को कारण से भुगतना पड़ सकता है;

(iii) इस मामले से निपटने के दौरान न्यायालय को एक पक्ष के मामले की ताकत के तथ्य को दूसरों की तुलना में मजबूत होने की अनदेखी नहीं करनी चाहिए;

(iv) निषेधाज्ञा प्रदान करने के मामले में कोई निश्चित नियम या धारणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, राहत को लचीला रखा जाना चाहिए।

(v) इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या निषेधाज्ञा से इनकार करने पर वादी को पक्षकारों के मामले की ताकत को ध्यान में रखते हुए अपूरणीय क्षति और चोट लगेगी;

(vi) सुविधा या असुविधा के संतुलन को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही अनुदान के समर्थन में कोई गंभीर प्रश्न या प्रथम दृष्टया मामला हो;

(vii) क्या निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने से आम जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी भरपाई अन्यथा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है।

8. दलपत कुमार और अन्य बनाम प्रहलाद सिंह और अन्य, एआईआर 1993 एससी 276 में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के दायरे को समझाया है यानी वाक्यांश "प्रथम दृष्टया मामला"; "सुविधा का संतुलन" और "अपूरणीय क्षति" भस्म के लिए अलंकारिक वाक्यांश नहीं हैं, बल्कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में मनुष्य की सरलता द्वारा प्रस्तुत असंख्य स्थितियों को पूरा करने के लिए चौड़ाई और लोच के शब्द हैं, लेकिन हमेशा न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए न्यायिक विवेक के ध्वनि अभ्यास के साथ बचाव किया जाता है। तथ्य वाक्पटु हैं और अपने लिए बोलते हैं। तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन खोजना लगभग असंभव है।

9. जहां तक अंतरिम राहत प्रदान करने का संबंध है, कानून भली-भांति स्थापित करने की आवश्यकता, सुविधा और अपूरणीय क्षति के संतुलन को देखना होगा। प्रथम दृष्टया मामला दिखाया जाना आवश्यक है। हालाँकि, मामला लंबित है, इसलिए, यह न्यायालय इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है, कि रिट याचिकाकर्ता के पास प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं, अन्यथा, ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित पूरी लिज़ पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी।

10. लेकिन यहां, सुविधा और अपूरणीय क्षति के संतुलन के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है।

11. सुविधा संतुलन के सिद्धांत के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना चाहिए। अपूरणीय क्षति को हानि कहा जाएगा यदि हानि प्रतिवर्ती नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि यदि हानि अपरिवर्तनीय है तो निश्चित रूप से, अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए ताकि संबंधित वादी को ऐसी हानि न हो जिसे बहाल नहीं किया जा सकता है अपनी मूल स्थिति के लिए।

12. किहोटो होलोहान बनाम जचिल्हू और अन्य [1992 पूरक (2) एससीसी 651] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "अपरिवर्तनीय" शब्द का ध्यान रखा गया है, तैयार संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के कंडिकाग्राफ -110 और 111 को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है: -

"110. न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए, जो कंडिकाग्राफ 6 में अंतिम खंड के कारण उपलब्ध है और संवैधानिक मंशा और न्यायिक शक्ति के भंडार की स्थिति यानी अध्यक्ष/सभापति के संबंध में, अध्यक्ष/सभापति द्वारा निर्णय लेने से पहले एक चरण में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है और एक समयबद्ध कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी। न ही कार्यवाही के एक इंटरलोक्यूटरी चरण में हस्तक्षेप की अनुमति होगी। हालांकि, उन मामलों के संबंध में अपवाद करना होगा जहां कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निरर्हता या निलंबन लगाया जाता है और इस तरह की अयोग्यता या निलंबन के गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय नतीजे और परिणाम होने की संभावना है।

111. परिणाम में, हम विवाद (ड) और (च) पर पकड़ रखते हैं:

कि दसवीं अनुसूची निरर्हता के लिए अतिरिक्त अनुदान (इस प्रकार का आधार) प्रदान करने और विवादित निरर्हताओं के अधिनिर्णय के लिए, एक गैर-न्यायोचित संवैधानिक क्षेत्र बनाने की मांग नहीं करती है। अध्यक्ष या सभापति में निहित ऐसे विवादों को हल करने की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है।

वह कि दसवीं अनुसूची का कंडिका 6(1), जिस सीमा तक यह अध्यक्षों/सभापतियों के निर्णय को अंतिम रूप देने की मांग करता है, वैध है। लेकिन कंडिका 6(1) में सन्निहित सांविधिक अंतिमता की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं होती है या उसे निरस्त नहीं करती है, जहां तक संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन, दुर्भावना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन न करने और विकृति का संबंध है।

कि दसवें अनुच्छेद के कंडिकाग्राफ 6(2) में निहित गया उपबंध अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) के अनुरूप एक प्रतिरक्षा को आकर्षित करती है जैसा कि केशव सिंह मामले [(1965) 1 एससीआर 413: एआईआर 1965 एससी 745] में समझा और समझाया गया है ताकि कार्यवाही की वैधता को केवल प्रक्रिया की अनियमितताओं से बचाया जा सके। समझाने वाला उपबंध, शब्दों को ध्यान में रखते हुए 'में कार्यवाही माना जाएगा।

संसद' या 'किसी राज्य की विधायिका में कार्यवाही' कथा के दायरे को तदनुसार सीमित करती है।

वही अध्यक्ष/सभापति जब शक्तियों का प्रयोग करते हैं और दसवीं अनुसूची के तहत अधिकारों और दायित्वों का निर्णय करने वाले ट्रिब्यूनल के रूप में दसवीं अनुसूची अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करना और उस क्षमता में उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

हालांकि, दसवीं अनुसूची में संवैधानिक अनुसूची को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक समीक्षा में अध्यक्षों/अध्यक्षों द्वारा निर्णय लेने से पहले कोई भी चरण शामिल नहीं होना चाहिए। संवैधानिक आशय और न्यायनिर्णायक शक्ति के भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समयबद्ध कार्रवाई की अनुमति नहीं है, किसी भी अंतर्वर्ती हस्तक्षेप के लिए एकमात्र अपवाद 7 अंतर्वर्ती अयोग्यता या निलंबन के मामले हैं जिनके गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय परिणाम और परिणाम हो सकते हैं।"

13. "अपरिवर्तनीय" शब्द की उपरोक्त व्याख्या की व्याख्या करना और मामले के तथ्यों पर वापस आना, जिसमें, रिट याचिकाकर्ता का स्वीकृत तथ्य यह है कि निर्णय तब से संप्रेषित या लिया नहीं गया है, वही झारखंड राज्य में आगे जारी रखने का अधिकार बनाता है।

14. लेकिन प्रश्न यह है कि यदि याचिकाकर्ता प्रत्यावर्तन के अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेगा और उक्त पद ग्रहण करने के बाद यदि आदेश, जिसे भारत संघ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संप्रेषित किया जाना है, यदि किसी त्रुटि से ग्रस्त पाया गया है और यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता है, तब सामान्य परिणाम यह होगा कि रिट याचिकाकर्ता फिर से अपने गृह राज्य में वापस आ जाएगा दो वर्ष की आगे की अवधि को जारी रखना, यदि प्रदान किया जाता है।

15. इसलिए, उस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई है, तो रिट याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे बहाल नहीं किया गया है।

16. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां रिट याचिकाकर्ता अंतरिम राहत देने के लिए मूल मापदंड को पूरा करने में सक्षम रहा है।

17. इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि जहां तक विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम राहत से इनकार करने के लिए दर्ज किए गए निष्कर्ष के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए न्यायिक निर्णय में आयोजित किया गया है। (1997) 3 एससीसी 261 में रिपोर्ट किए गए भारत संघ और अन्य, जिसमें, कंडिका -99 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

"99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323-ए के खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323-बी के खंड 3 (डी), इस हद तक कि वे संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं, असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी कानूनों में "अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन" खंड उसी हद तक असंवैधानिक होगा। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार हमारे संविधान के अलंघनीय मूल ढांचे का एक भाग है। हालांकि इस क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अन्य अदालतें और न्यायाधिकरण अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323-A और अनुच्छेद 323-B के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए सक्षम हैं। तथापि, इन अधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष संवीक्षा के अध्यधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिकरण आता है। तथापि, अधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में प्रथम दृष्टया न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इसलिए, वादियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे उन मामलों में भी सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे संबंधित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वैधानिक विधानों की शक्तियों पर सवाल उठाते हैं (सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां विशेष अधिकरण बनाने वाले कानून को चुनौती दी जाती है)। अधिनियम की धारा 5 (6) वैध और संवैधानिक है और जिस तरह से हमने संकेत दिया है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए।"

19. हालांकि, जैसा कि निर्देश पर विद्वान अतिरिक्त एसजीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कि चूंकि मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है, इसलिए, जवाबी हलफनामा सकारात्मक रूप से दायर किया जाएगा ताकि मामले को निर्धारित तिथि पर तय किया जा सके, इसलिए, यह

न्यायालय एतद द्वारा विद्वान ट्रिब्यूनल से अनुरोध करता है कि वह अपने गुण-दोष के आधार पर पहले से तय की गई तारीख पर मामले का फैसला करे।

तदनुसार, तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार राय, न्यायमूर्ति)

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।